"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 440] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 — आश्विन 17, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-13/आठ-परि./2017. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 115 सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, घोषित करती है कि दुकान की शटर से 6 फीट की दूरी पर खींची गई रेखा के भीतर ग्राहकों के दोपहिया वाहनों हेतु उपबंधित पार्किंग सुविधा के अपवाद सहित, रायपुर शहर के निम्नलिखित मार्ग, दोपहिया वाहन को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के लिये यातायात के प्रभावी संचालन हेतु, प्रात: 9.00 से रात्रि 10.00 के बीच नो-पार्किंग जोन होगा, अर्थात् :-

1. आमापारा तिराहा से शास्त्री चौक (जी. ई. रोड),

2. आजाद चौक से शदाणी चौक-सत्तीबाजार-सदर बाजार, कोतवाली चौक,

3. कोतवाली चौक से जयस्तंभ चौक (मालवीय रोड),

4. शारदा चौक से गुरूनानक चौक (एम. जी. रोड).

No. F 5-13/VIII-Trans./2017.— In exercise of the powers conferred by Section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) read with rule 215 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the State Government, hereby, declares, that the following routes of Raipur City shall be made No-Parking Zone between 9.00 A. M. and 10.00 P. M. for all types of Vehicles except two wheeler to effectively manage traffic, with exception of the Parking facilities provided for two wheeler of customers within a line drawn at a distance of 6 feet from the shutters of the shop, namely :-

1. Amapara Tiraha to Shastri Chowk (G. E. Road),

2. Azad Chowk to Saddhani Chowk-Sattibazar-Sadar Bazar, Kotwali Chowk,

3. Kotwali Chowk to Jaistambh Chowk (Malviya Road),

4. Sharda Chowk to Gurunanak Chowk (M. G. Road).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.